दिनांक 13.06.2021	
प्रेस विज्ञप्ति 13/21	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद लखीमपुर खीरी/थाना मोहम्मदी

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 13.06.2021 को थाना मोहम्मदी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना मोहम्मदी क्षेत्रान्तर्गत बदमाश की घेरा बन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त युसुफ घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित 01 खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद खीरी जनपद पीलीभीत के विभिन्न थानो में डकैती, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना मोहम्मदी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 31/2021 धारा 457/380/411 भादवि व मु0अ0सं0 19/2021 धारा 457/380/411 भादवि से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मोहम्मदी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—युसुफ निवासी आशिमटण्डा थाना भीरा जनपद खीरी।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित 01 खोखा कारतूस।

जनपद झाँसी/थाना सीपरी बाजार

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 13.06.2021 को थाना सीपरी बाजार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना सीपरी बाजार क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—रोहित सहित अभियुक्त 2—प्रदीप 3—अभिषेक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त रोहित के विरूद्ध जनपद झाँसी के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग एवं अभियुक्त प्रदीप व अभिषेक के विरूद्ध जनपद झाँसी के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 03—03 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त रोहित थाना सीपरी बाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 240/2021 धारा 394/411/323/504/506 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सीपरी बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रोहित निवासी सिमरा थाना रक्सा जनपद झाँसी।

2—प्रदीप निवासी बुल्टा बहादुरपुर थाना करैरा जनपद शिवपुरी मध्यप्रदेश।

3—अभिषेक निवासी बुल्टा बहादुरपुर थाना करैरा जनपद शिवपुरी मध्यप्रदेश।

बरामदगी

1—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2—03 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस।

<u>जनपद हरदोई/थाना मल्लावां</u>

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 13.06.2021 को थाना मल्लावां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना मल्लावां क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त आसिफ को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मल्लावां पर पंजीकृत मु0अ0सं0 247/2021 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मल्लावां पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–आसिफ निवासी बल्लीपुरवा मजरा मटियामऊ थाना मल्लावां जनपद हरदोई।

<u>जनपद देवरिया/थाना बघौचघाट</u>

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 13.06.2021 को थाना बघौचघाट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना बघौचघाट क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त गोवर्धन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बघौचघाट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 156/2020 धारा 304/323/504 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बघौचघाट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–गोवर्धन निवासी कोइरी पट्टी थाना बघौचघाट जनपद देवरिया।

जनपद भदोही/थाना कोतवाली भदोही

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 बोलेरो, 01 मोटर साइकिल**
- **10 पेटी अवैध शराब**
- **13 हजार 665 रूपये नगद**
- **01 अवैध पिस्टल 04 जीवित कारतूस**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर 01 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 12.06.2021 को थाना कोतवाली भदोही पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भिखारीपुर मैदान के पास चेकिंग के दौरान 05 अभियुक्तों 1—रामचन्द्र 2—रेहान उर्फ मुन्ना 3—शकील उर्फ बच्ची 4—बृजेश 5—जयसिंह उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 बोलेरो, 01 मोटर साइकिल, 10 पेटी अवैध शराब, 13 हजार 665 रूपये नगद, 01 अवैध पिस्टल 04 जीवित कारतूस, 01 अवैध तमंचा 315 बोर 01 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली भदोही पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रामचन्द्र निवासी कोल्हुआ पाण्डेपुर थाना सुरियांवा जनपद भदोही।

2—रेहान उर्फ मुन्ना निवासी कुल्हमनपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही।

3—शकील उर्फ बच्ची निवासी सराय जगदीश थाना गोपीगंज जनपद भदोही।

4—बृजेश निवासी गिर्धकोट थाना हण्डिया जनपद प्रयागराज।

5—जयसिंह उर्फ सोनू निवासी गडौर थाना दुर्गागंज जनपद भदोही।

बरामदगी

1—चोरी की 01 बोलेरो।

2—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3—10 पेटी अवैध शराब।

4—13 हजार 665 रूपये नगद।

5—01 अवैध पिस्टल 04 जीवित कारतूस।

6—01 अवैध तमंचा 315 बोर 01 जीवित कारतूस आदि।

जनपद सीतापुर/थाना कोतवाली नगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 12 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 13.06.2021 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बहुगुणा चौराहा के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—महताब उर्फ छोटे 2—मंटर उर्फ सियाराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 12 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्व जनपद सीतापुर के विभिन्न थानो में चोरी के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद सीतापुर, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, लखनऊ के आस—पास के क्षेत्रो से मोटर साइकिल चोरी कर ग्रहक मिलने पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—महताब उर्फ छोटे निवासी मोहरसा थाना हरगांव जनपद सीतापुर।

2—मंटर उर्फ सियाराम निवासी मुद्रासर थाना हरगांव जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1—चोरी की 12 मोटर साइकिल।

जनपद बरेली/थाना आंवला

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल**
- **03 ई–रिक्शा, 17 बैटरी, 06 रिम आदि बरामद**

दिनांक 13.06.2021 को थाना आंवला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना आंवला क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1–मोनिष 2–वीरेन्द्र 3–मुन्ना को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल, 03 ई–रिक्शा, 17 बैटरी, 06 रिम आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो आस–पास के थाना क्षेत्रो से मोटर साइकिल आदि की चोरी कर ग्रहक मिलने पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना आंवला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोनिष निवासी मो0फूटा दरवाजा कस्बा व थाना आंवला जनपद बरेली।

2–वीरेन्द्र निवासी बिलौरी थाना आंवला जनपद बरेली।

3–मुन्ना निवासी मो0किला बजरिया कस्बा व थाना आंवला जनपद बरेली।

बरामदगी

1–चोरी की 05 मोटर साइकिल।

2–चोरी के 03 ई–रिक्शा।

3–17 बैटरी।

4–06 रिम आदि।

जनपद मेरठ/थाना ब्रहमपुरी

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 40 किलोग्राम ताबे का तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन**
- **चोरी करने के उपकरण आदि बरामद**

दिनांक 12.06.2021 को थाना ब्रहमपुरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वाल्मिकी आश्रम माधवपुरम के पास चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1—जगत उर्फ मामा उर्फ गुर्जर 2—विशाल 3—निजामुद्दीन 4—फरमूद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 40 किलोग्राम ताबे का तार, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन, चोरी करने के उपकरण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त जगत उर्फ मामा उर्फ गुर्जर के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, हापुड, गाजियाबाद, मेरठ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 18 अभियोग, अभियुक्त विशाल के विरूद्ध जनपद मेरठ, गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, धोखाधडी, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग एवं अभियुक्त निजामुद्दीन, फरमूद के विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 03—03 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना ब्रहमपुरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जगत उर्फ मामा उर्फ गुर्जर निवासी टीकाराम कालोनी थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ।

2—विशाल निवासी मोहनपुरी थाना सिविल लाइन जनपद मेरठ।

3–निजामुद्दीन निवासी ईंदगाह गोल्डन कालोनी थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ।

4–फरमूद निवासी श्यामनगर थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के 40 किलोग्राम ताबे का तार।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन।

4–चोरी करने के उपकरण आदि।

<u>जनपद शाहजहाँपुर/थाना जैतीपुर</u>

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण आदि बरामद**

दिनांक 12.06.2021 को थाना जैतीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नौगवा गोविन्दपुर जाने वाले रास्ते से बायी तरफ यूकेलिप्टिस के बाग से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त रूम सिंह उर्फ भगत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण आदि हुए।

इस सम्बन्ध में थाना जैतीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–रूम सिंह उर्फ भगत निवासी नगला उर्फ बंथरा थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2—02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3—भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण आदि।

जनपद सोनभद्र/थाना रावर्टगंज

- **02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 15 लाख रूपये कीमत की 150 ग्राम अवैध हेरोइन**
- **55 हजार 180 रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 12.06.2021 को थाना रावर्टगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कांशीराम आवास में बने पार्क के पास से 02 मादक पदार्थ तस्कर 1—बाबा 2—सुखराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 15 लाख रूपये कीमत की 150 ग्राम अवैध हेरोइन, 55 हजार 180 रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना रावर्टगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—बाबा निवासी कांशीराम आवास कालोनी थाना रावर्टगंज जनपद सोनभद्र।

2—सुखराम निवासी मेहुडी खुर्द थाना रावर्टगंज जनपद सोनभद्र।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 15 लाख रूपये कीमत की 150 ग्राम अवैध हेरोइन।

2—55 हजार 180 रूपये नगद।

3—01 मोटर साइकिल बरामद।

जनपद प्रयागराज/थाना नैनी

- **मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 20 लाख रूपये कीमत की 180 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 12.06.2021 को थाना नैनी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर धनुहा मोड़ के पास से मादक पदार्थ तस्कर मो0 नफीस को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 20 लाख रूपये कीमत की 180 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना नैनी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मो0नफीस निवासी टिकरा थाना जैतपुर जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—लगभग 20 लाख रूपये कीमत की 180 ग्राम अवैध स्मैक।

एस0टी0एफ0—थाना कोतवाली जनपद बागपत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 562/2021 धारा 407/411/120 बी भादवि से संबंधित अभियुक्त तरणजीत सिंह उर्फ विक्की उक्त घटना में बेचे गये माल में से हिस्से में आये 2,50,000/—रूपयों सहित गिरफ्तार।

दिनांक 12—06—2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना कोतवाली जनपद बागपत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 562/2021 धारा 407/411/120 बी भादवि से संबंधित अभियुक्त को थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत क्षेत्रान्तर्गत गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

तरणजीत सिंह उर्फ विक्की पुत्र हरजीत सिंह नि0 281/2010 मौ0 तेगबहादुर नगर, थाना तरनतारन सिटी, जनपद तरनतारन, पंजाब।

बरामदगीः—

1— 2,50, 000/—रूपये नगद

गिरफतारी का स्थान व समयः—

दिनांक 12—06—2021, स्थानः— गोरीपुर तिराहा से 40 कदम आगे सोनीपत रोड, थाना कोतवाली बागपत, जनपद बागपत, समयः—18.30 बजे

एस0टी0एफ उत्तर प्रदेश को माल से भरें ट्रक में से माल उतारकर बेचने वालें गिरोहों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री बृजेश कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, मेरठ के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ में टीमें गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि जनपद बागपत के थाना कोतवाली क्षेत्र में गुफा मन्दिर के पास अम्बे ढाबे पर करीब एक सप्ताह पहले ट्रक संख्याः एचपी—12बी—1593 बिना माल के मिलने पर ट्रक मालिक द्वारा थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इस घटना को अन्जाम देने वालें व्यक्तियों में से मलकीत व तरणजीत सिंह उर्फ विक्की अपने साथी रोहित व दर्शन के इंतजार में जनपद बागपत अन्तर्गत गोरीपुर तिराहें पर खड़े हैं। यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। उक्त आसूचना के दृष्टिगत थाना कोतवाली बागपत, जनपद बागपत पुलिस से समन्वय स्थापित करते हुए मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुये निरीक्षक रविन्द्र कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 संजय कुमार, हे0कां0 दीपक कुमार, हे0कां0 रवि वत्स, हे0कां0 संजय एंव हे0कां0 वीरबोस एस0टी0एफ0 मेरठ की टीम एंव स्थानीय पुलिस थाना कोतवाली बागपत मय मुखबिर के रवाना हुई तथा मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान गोरीपुर तिराहा पर पहुॅचे तथा मुखबिर के बताये स्थान गोरीपुर तिराहे से 40 कदम आगे सोनीपत रोड थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत पर टीमो का गठन कर उपरोक्त अभियुक्त तरणजीत सिंह उर्फ विक्की उपरोक्त को गिरफ्तार कर उससे

मुकदमा उपरोक्त की घटना से संबंधित बिके माल के रूपयों में से उसके हिस्से में आये 2,50,000/—रूपये बरामद किये गये। दूसरा अभियुक्त भागने में सफल हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त तरणजीत सिंह उर्फ विक्की उपरोक्त ने संक्षिप्त पूछताछ पर बताया कि कुछ दिन पहले मैंने व ड्राईवर दर्शन सिंह व हैल्पर रोहित ने ट्रक नं0 एचपी—12बी—1593 को माल सहित गायब करने की योजना बनायी थी, जिसमें मलकीत भी हमारी योजना में शामिल था। दिनांक 27—05—2021 को ट्रक चालक दर्शन सिंह व हैल्पर राहित उपरोक्त ट्रक को लोहा पाईप लोड करके मण्डी गोविन्द गढ़, पंजाब से लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के लिए चले थे। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार ट्रक को उपरोक्त चालक व हैल्पर लखीमपुर खीरी न ले जाकर दिनांक 29—05—2021 की सांय को कस्बा चॉदपुर जनपद बिजनौर लेकर आ गये थे जहॉ पर मैं और मलकीत उनको मिले थे। मलकीत ने ट्रक में लोड सामान को ग्राम महमूद के पास स्कूल के मैदान में खाली करा दिया था तथा ट्रक के टायर मलकीत ने अपने ट्रक के टायरों से बदल लिये थे और उपरोक्त ट्रक को लेकर हम लोग जनपद बागपत में सहारनपुर रोड पर अम्बे ढाबें पर खडा कर चले गये थे। उसके बाद मलकीत ने ट्रक का माल लोहा पाईप किसी को बेच दिया था। बिके माल में से मलकीत मुझे आज ढाई लाख रूपयें देने गोरीपुर तिराहे पर आया था तथा यहीं पर हम चालक व हैल्पर उपरोक्त के आने का भी इंतजार कर रहे थे कि इसी दौरान आप लोगो के देखकर मलकीत भाग गया और आपने मुझे पकड़ लिया। मुझसे जो 2,50,000/—रूपयें बरामद हुए हैं उपरोक्त घटना से संबंधित बिके माल के मेरे हिस्से में आये हुए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना कोतवाली बागपत, जनपद बागपत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 562/2021 धारा 407/411/120 बी भादवि में दाखिल किया गया है, जिसमें गिरफ्तार अभियुक्त तरणजीत सिंह उर्फ विक्की उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा की जा रही है।

—————————